महत्वपूर्ण सूचना

काउंसलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में रिक्त बची सीटों में सीधे प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण शासनादेश ।

शासनादेश सं0-

01/2016/5025/सोलह-1-2016-14(54)/2012,

दिनांक 02 जनवरी 2017

Link:

http://shasanadesh.up.nic.in/GO/ViewGOPDF_list_user.aspx?id1=MSMxMiMxIzIwMTc=

वेबसाइट-

http://shasanadesh.up.nic.in

महत्वपूर्ण

संख्या-01/2016/5025/सोलह-1-2016-14(54)/2012

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम

प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0,

लखनऊ ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 02 जनवरी, 2017

विषयः- डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन डिग्री स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017-18 की राज्य प्रवेश परीक्षा/ काउंसिलिंग/(यू0पी0एस0ई0ई0-2017) के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-4929/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 21.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2017 में बी0टेक0, बी0आर्क0, एम0बी0ए0, बी0एच0एम0सी0टी0 इत्यादि पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश विगत वर्षों की भांति राज्य प्रवेश परीक्षा-2017 (यू0पी0एस0ई0ई0-2017) के माध्यम से कराये जाने के निर्देश विश्वविद्यालय को दिये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2017-18 की राज्य प्रवेश परीक्षा/काउंसिलिंग (यू0पी0एस0ई0ई0-2017) के आयोजन के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन डिग्री स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017-18 की राज्य प्रवेश परीक्षा/काउंसिलिंग (यूपीएसईई-2017) के आयोजन का कार्य डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(2) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्धविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन डिग्री स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017-18 में निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(i)(क) शासकीय अनुदानित अभियंत्रण संस्थानों, विश्वविद्यालय के घटक/सहयुक्त संस्थानों/वास्तुकला संकाय आदि समस्त संस्थानों में प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया यथावत रहेगी।

(ख) शासकीय वित्त पोषित/अनुदानित अभियंत्रण संस्थाओं में काउंसिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों पर छात्रों के प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18 में स्पाट काउंसिलिंग कराये जाने संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-3811/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 21.9.2016 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) यू0पी0 डोमिसाइल (प्रदेश के अभ्यर्थी):-

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निजी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में कुल 75% सीटें यू0पी0एस0ई0ई0 द्वारा यू0पी0 डोमिसाइल आवेदकों से भरी जायेगी।

(iii) नान यू0पी0 डोमिसाइल (प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी):-

निजी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में 10% सीटें ए.आई.ई.ई.ई.(जे.ई.ई.मेन्स) अथवा यू0पी0एस0ई0ई0 के माध्यम से नान यू0पी0 डोमिसाइल आवेदकों से भरी जायेंगी।

(iv) मैनेजमेन्ट/एन0आर0आई0 कोटा:-

निजी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में 15% सीटें मैनेजमेन्ट/एन0आर0आई0 कोटा प्रदेश के अथवा प्रदेश के बाहर के छात्रों से यू0पी0एस0ई0ई0 अथवा ए0आई0ई0ई0ई0 (जे0ई0ई0 मेन्स) के आधार पर भरी जायेंगी।

(v) काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में रिक्त बची सीटों के प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु निम्नानुसार मेरिट के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगीः-

1. ए0आई0ई0ई0ई0 (जे0ई0ई0 मेन्स रैंक)
2. यू0पी0एस0ई0ई0 रैन्क।
3. 10+2 की मेरिट, जो अभ्यर्थी ए0आई0ई0ई0ई0 (जे0ई0ई0 मेन्स)/यू0पी0एस0ई0ई0 अथवा किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किये गये हैं।

(3) शर्त यह होगी कि किसी भी स्थिति में किसी भी निजी संस्थान द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में 25% से अधिक सीटों में उत्तर प्रदेश के बाहर के आवेदकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह शर्त किसी भी दशा में शिथिल नहीं की जाएगी।

(4) उ0प्र0 राज्य प्रवेश परीक्षा, 2017 की प्रवेश प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों के आरक्षण हेतु सामान्य नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) प्रदेश के बाहर के छात्रों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए उनकी सुविधा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा यू0पी0एस0ई0ई0 प्रवेश परीक्षा 2017 हेतु अन्य प्रदेशों में भी परीक्षा के केन्द्र बनाये जायेंगे।

(6) विदेशी छात्रों हेतु:-

(i) संस्थाओं में एन0आर0आई0 छात्रों का प्रवेश ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अधिसंख्य पदों के सृजन के पश्चात् किया जायेगा।

(ii) निजी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में एन0आर0आई0 छात्र द्वारा प्राप्त वह शैक्षिक अर्हता मान्य होगी, जिसका देश में 10+2 के समतुल्य समकक्षता ए0आई0सी0टी0ई0/भारत सरकार/एसोसियेशन आॅफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा स्थापित की गयी हो।

(7) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 राज्य प्रवेश परीक्षा (अखिल भारतीय मेरिट) के आयोजन में सिविल अपील संख्या 9048 आफ 2012 एवं 9047 आफ 2012 में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2012 में निर्धारित शिड्यूल (समय-सीमा) एवं अन्य सुसंगत निर्णयों तथा शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल (कुलाधिपति), उ0प्र0, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर/हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. समस्त निदेशक, शासकीय अनुदानित स्वायत्तशासी अभियंत्रण संस्थान, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुरेश चन्द्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।